झारखण्ड लोक सेवा आयोग सर्कुलर रोड, राँची – 834001

विज्ञापन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि :-30.06.2020

विज्ञापन संख्या:-03/2020

झारखण्ड राज्य के चार विश्वविद्यालयों में पदाधिकारियों (गैर शैक्षणिक) के साक्षात्कार के माध्यम से नियुक्ति हेतु इच्छुक भारतीय अर्हत्ताधारियों से निम्न प्रकार विहित शर्तों एवं निर्देशों के अनुरूप ऑनलाईन आवेदन—पत्र आमंत्रित किये जाते हैं :-

1. पद का नाम एवं वेतनमान :--

क्र0सं0	पद का नाम	पद कोड	वेतनमान	ग्रेड पे
1.	Registrar	2201/20	37,400-67,000/-	10,000 / -
2.	Finance Officer	2202 / 20	37,400-67,000/-	10,000 / -
3.	Controller of Examinations	2203 / 20	37,400-67,000/-	10,000 / -
4.	Assistant Registrar	2204/20	15,600—39,100 /—	5,400 / —

Note:-

- I. The minimum requirement of 55% marks (as mentioned in para-3) shall not be insisted upon for Registrar for the existing incumbents who are already in the University system.
- II. The appointment of Registrar, Controller of Examinations and Finance Officer shall on the basis of direct recruitment for a tenure of four years, which may be extended by the order of the syndicate for further four years only.

2. रिक्तियों का विवरण:-

SI. No.	Name of Post			her		Univ	asha versi			-	ancl	nal	ri N Univ bad	ersi			Ко		n Un haib		8	,	U	64753	ersit	Service of	ledi	mba nna(20	Grand
		UNR	ST	sc	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	sc	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	sc	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	TOTAL	
1.	Registrar	01	-	-		-		01	01	-		*	-	-	01	2		120	-	327	-	-	12	-		-	2	-	-	02
2.	Finance Officer	01	-	-	(= 1		-	01	1.00	24	-	7-1		-	-	01	-		-		-	01	100		- 50	-	-	-	5	02
3.	Controller of Examinations	01		.5)	373	(2)		01	01	-			(=)		01	01			-	-		01	-	-	-	-	-	-	-	03
4.	Assistant Registrar	01	01	-	-		-	02	01	-	7-	-	1-1	1-1	01	01	-	10 7 1	01		1.78	02	01	01	-	-	-	-	02	07

3. अर्हत्ता एवं अनुभव:--

Sl. No.	Name of Post	Qualification & Experience
1.	Registrar	 A Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/Directorate.
2.	Finance Officer	which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post. 1. A Master's degree/ MBA degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale or Chartered Accountant or ICWA. 2. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in financial administration in any University or College. OR Comparable experience in financial administration in Govt, or semi govt, Institution or in organization of repute or in any other institutions of higher education. OR At least 15 years of administrative and teaching or administration experience of which 8 years as Deputy Registrar or an equivalent post.
3.	Controller of Examinations	 A Master's degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the UGC seven point scale. At least 15 years of experience as Assistant Professor/Lecturer or six years' experience as Associate Professor or Reader or as Professor along with experience in educational administration/Directorate.
4.	Assistant Registrar	1. Good academic- record plus Master's degree with at least 55% marks or equivalent grade of B in the UGC seven point scale. Experience: Five years of supervisory experience. The experience should be in establishment/legal matters in a Government/ Semi Government/ Public Sector/ Autonomous organizations/ University/ Educational Institutions of Higher Learning and having a good working Knowledge of general administration and rules and regulations relating to University.

4. PERCENTAGE EQUIVALENCE OF GRADE POINTS FOR A SEVEN POINTS SCALE:-

It is hereby clarified that where the University/College/Institution declare results in grade points which is on a scale of seven, the following mechanism shall be referred to ascertain equivalent marks in percentage:-

Grade	Grade Point	Percentage Equivalent
O' - Outstanding	5.50-6.00	75-100
A' - Very Good	4.50-5.49	65-74
B' - Good	3.50-4.49	55-64
C' - Average	2.50-3.49	45-54
D' - Below Average	1.50-2.49	35-44
E' - Poor	0.50-1.49	25-34
' - Fail	0-0.49	0-24

5. उम्र एवं अनुभव गणना की तिथि:--

- (i) साक्षात्कार हेतु उम्मीदवारों के उम्र गणना की तिथि—01.08.2020 होगी एवं अनुभव गणना की तिथि विज्ञापन प्रकाशन की तिथि होगी।
- (ii) कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक पद के लिये आयु 55 वर्ष से कम उम्र वाले अभ्यर्थियों को अधिमानता दी जायेगी।
- (iii) कुलसचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं सहायक कुलसचिव पद के अभ्यर्थियों के लिये सेवानिवृति की आयु 60 वर्ष है।
- 6. कंडिका—02 में अंकित रिक्त पद (सहायक कुलसचिव के आरक्षित पद को छोड़कर) अनारक्षित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (EWS) के लिए उपलब्ध है। अतः इन कोटियों के अभ्यर्थी अनारक्षित पद के विरूद्ध आवेदन दे सकते हैं परन्तु उन्हें आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

7. आरक्षण का लाभ :--

- (a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक—1754 दिनांक—25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/ अपर उपायुक्त/ अपर समाहर्त्ता/ प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/ अनुमंडल दंडाधिकारी/ कार्यपालक दंडाधिकारी/ सहायक समाहर्त्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा हेतु सत्यापन प्रक्रिया के क्रम में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(d) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :--

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754 दिनांक—25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—IV में प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-l एवं पिछड़ा वर्ग-ll कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक—1754 दिनांक—25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र—11 (क्रीमीलेयर रहित) में प्रमाण पत्र साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:— कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या—1433 दिनांक—15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट—I) में साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

8. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम :--

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of:

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (I) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गऐ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :--

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

9. परीक्षा शुल्क:--

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड / डेविट कार्ड / इंटरनेट बैंकिंग / चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची—II) एवं आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई०डब्ल्यू०एस०) श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू०—**600 (छः सौ) + बैंक चार्ज** मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट— झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू०—150/—(एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत नि:शक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए अलग—अलग आवेदन एवं परीक्षा शुल्क देना अनिवार्य होगा।

नोट:— अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंकों द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जायेगा।

10. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट <u>www.jpsc.gov.in</u> पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (b) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली—भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्त्तन का अनुरोध स्वीकार्य नहीं होगा।
- (c) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व "How to apply" (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के Help Line No.— +919431301419 ऑनलाइन पर आवेदन भरने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह—10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (d) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के Help Line No. पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (e) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.— +919431301636 संपर्क किया जा सकता है।

- (g) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (h) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्त्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (i) जन्म तिथि— आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (j) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (k) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (1) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (m) आवेदिक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रदद करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (n) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रति (दो प्रतियों में) मूल प्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :—
 - (i) मैट्रिक प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
 - (ii) इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
 - (iii) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (iv) स्नातकोत्तर डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र।
 - (v) पी.एच.डी. प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (vi) अनुभव प्रमाण पत्र (ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों के अनुरूप)।
 - (vii) जाति प्रमाण पत्र / E.W.S. प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकंलागता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
 - (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (o) साक्षात्कार हेतु अभिलेख सत्यापन के समय उपर्युक्त कंडिका—(n) के अनुरूप सभी वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- 11. अंतिम तिथि:-
- (क) आवेदक Online Application System के माध्यम से दिनांक:— 08.06.2020 से 30.06.2020 रात 11:45 बजे तक ही Online आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) **दिनांक:— 30.06.2020** के बाद **दिनांक:—01.07.2020** तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।

ह0 / — सचिव,

झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची। 1